

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 606 /2025 दिनांक : 19.02.2025

श्रीमती देवांगिनी औदित्य (RJ00895), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भीलवाड़ा को दिनांक 15.01.2025 से 24.01.2025 तक 10 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 14.01.2025 के स्थानीय अवकाश एवं 25.01.2025 से 26.01.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती औदित्य की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भीलवाड़ा के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/66/2015/1529

दिनांक : 19.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 474 दिनांक 29.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती देवांगिनी औदित्य (RJ00895), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भीलवाड़ा।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भीलवाड़ा।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।

  
सहायक रजिस्ट्रार